

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 23 जनवरी 2019—माघ 3, शक 1940

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2019

क्र. डी-15-73-17-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 60 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2(1)(क) के तहत अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है जो, उक्त धारा के परन्तुक द्वारा अपेक्षित के अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किये जा चुके हैं:—

#### संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची में शीर्ष “दस-चठनी मसाले तथा अन्य वस्तुएँ” में नवीन मद 14 “अमचूर या आमचूर या आमखटाई या सूखा आम या आम के सूखे गूदे” को अंतःस्थापित करते हुए शामिल किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुकेश कुमार शुक्ला, सचिव।

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2019

पृ. क्र. डी-15-73-17-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 जनवरी 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुकेश कुमार शुक्ला, सचिव।

Bhopal, the 23<sup>rd</sup> January 2019

No. D-15-73-17-XIV-3.—In exercise of the powers conferred in Section 60 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of the year 1973) the State Government hereby, make the following amendment in the Section 2(1)(a) Schedule of the said Act, the Same having been previously published as required in proviso of the said Section:—

#### AMENDMENT

In the Schedule of the said Act, under the heading “X-Condiments, Spices and Others”, a new item number XIV “Amchur, Aamchur, Aamkhatai, Sukha Aam or Aam ke Sukhe Gude” shall be hereby included.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
MUKESH KUMAR SHUKLA, Secy.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2019

क्र. डी-15-50-18-चौदह-3.—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 32-के साथ पठित धारा 79 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (छह) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञाप्ति) नियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:—

उक्त नियमों में,—

1. नियम 4 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निमानुसार उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(2) विशेष अनुज्ञाप्ति, ऐसे व्यक्ति को एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज का कारोबार करने के लिए दी जा सकेगी जो किसी वित्तीय वर्ष में अधिसूचित कृषि उपज के निम्नलिखित समूह में से किसी एक या एक से अधिक कृषि उपज का क्रय, उनके सामने वर्णित न्यूनतम मात्रा में समस्त क्रय केन्द्रों को सम्मिलित करते हुए, उत्पादकों से करता है।

(एक)	सब्जी, फल तथा फूल	1,000 मेट्रिक टन
(दो)	मसाले	1,000 मेट्रिक टन
(तीन)	तन्तु (कपास आदि)	2,000 गठान
(चार)	तिलाहन	2,000 मेट्रिक टन
(पांच)	धान्य तथा दलहन	2,000 मेट्रिक टन
(छह)	बन उपज तथा कृषि औषधीय उपज	100 मेट्रिक टन

परन्तु एक्सचेंज अनुज्ञाप्तिधारक के मामले में उपरोक्त वर्णित उपबंध लागू नहीं होंगे।”

2. नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“5. अनुज्ञाप्ति फीस—विशेष अनुज्ञाप्ति के लिए फीस रुपए 20,000 (रुपए बीस हजार) होगी। अनुज्ञाप्ति फीस, आवेदन करते समय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट जो प्रबंध संचालक के पक्ष में देय हो, प्रस्तुत करना होगा।”

**3. नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—**

“6. प्रतिभूति—(1) अनुज्ञित मंजूर करने का विनिश्चय किए जाने के पश्चात् विभिन्न अधिसूचित कृषि उपजों के लिए समस्त क्रय केन्द्रों को सम्मिलित करते हुए अनुज्ञितधारी द्वारा निम्नलिखित प्रतिभूति प्रस्तुत की जायेगी:

(क) सब्जी, फल तथा फूल	प्रति क्रय केन्द्र रूपए 50 हजार किन्तु न्यूनतम रूपए 1 लाख
(ख) मसाले	प्रति क्रय केन्द्र रूपए 1 लाख किन्तु न्यूनतम रूपए 3 लाख
(ग) तन्तु (कपास आदि)	प्रति क्रय केन्द्र रूपए 1 लाख किन्तु न्यूनतम रूपए 3 लाख
(घ) तिलहन	प्रति क्रय केन्द्र रूपए 1 लाख किन्तु न्यूनतम रूपए 3 लाख
(ङ) धान्य तथा दलहन	प्रति क्रय केन्द्र रूपए 1 लाख किन्तु न्यूनतम रूपए 3 लाख
(च) बन उपज और कृषि औषधीय उपज	प्रति क्रय केन्द्र रूपए 50 हजार किन्तु न्यूनतम रूपए 1 लाख

परन्तु नियम 6 में उल्लेखित प्रतिभूति न्यूनतम हैं तथा अनुज्ञितधारी द्वारा वार्षिक वर्ष के किसी एक दिवस में समस्त क्रय केन्द्रों से संचयी रूप से वास्तविक क्रय के कुल मूल्य तक बढ़ाई जा सकेगी.”

**4. नियम 7(2), 7(3) (एक) को निमानुसार संशोधित किया जाता है:—**

“7(2)—आवेदक, आवेदन प्रारूप के साथ रूपये 1000/- (रुपये एक हजार मात्र) की आवेदन फीस के रूप में बोर्ड, मुख्यालय में जमा करेगा.”

“7(3)(एक)—रूपये 1000/- के जमा करने की रसीद अथवा उक्त रकम का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट जो प्रबंध संचालक के पक्ष में देय हो;”

**5. नियम 8(5) को निमानुसार संशोधित किया जाता है:—**

“8(5)—विशेष अनुज्ञित देने या उसके नवीनीकरण करने से इंकार करने की दशा में आवेदन फीस मण्डी बोर्ड में वेष्ठित होगी, केवल अनुज्ञित फीस का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट आवेदक को वापिस कर दिया जावेगा.”

**6. नियम 10 में, उपनियम (1) खण्ड (नौ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएं, अर्थात्:—**

“(दस) प्रवेश, विक्रय-क्रय, भुगतान तथा तौल काउन्टरों / क्षेत्रों पर सी.सी.टी.व्ही. कैमरे स्थापित करना.”

“(ग्यारह) क्रय-विक्रय लेखा की मैनुअल के साथ ही डिजिटल बैंकअप प्रणाली संधारित रखना.”

**7. नियम 12(2), 12(5) एवं 12(7) को निमानुसार संशोधित किया जाता है:—**

“12(2)—आवेदक, रूपये 1000/- (रुपये एक हजार) की रकम आवेदन फीस के रूप में बोर्ड मुख्यालय में जमा करेगा या इस रकम का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट प्रबंध संचालक के पक्ष में तैयार करके प्रस्तुत करेगा.”

“12(5)—विशेष अनुज्ञित के नवीनीकरण के निर्णय की सूचना प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् आवेदक द्वारा रु. 20,000/- (रुपए बीस हजार) की अनुज्ञित फीस, बोर्ड के कार्यालय में जमा की जायेगी.”

“12(7)—विशेष अनुज्ञित नवीकृत करने के इंकार करने के विनिश्चय की दशा में, आवेदन फीस मण्डी बोर्ड में वेष्ठित होगी, केवल अनुज्ञित फीस का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट आवेदक को वापिस कर दिया जावेगा.”

**8. प्रस्तुप—चार की कंडिका (2) को निमानुसार संशोधित किया जाता है:—**

2. अनुज्ञित फीस के मद्दे में रूपये 20,000/- (रुपये बीस हजार) बोर्ड के पक्ष में आहरित का एकाउंट पेयी डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक . . . . . तारीख . . . . . इसके साथ संलग्न है.

Bhopal, the 23<sup>rd</sup> January 2019

No. D-15-50-18-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (vi) of sub-section (2) of Section 79 read with Section 32-A of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby makes amendments in the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Special License for more than one market area) Rules, 2009, which have been previously published as required by sub-section (1) of Section 79 of the said Adhiniyam, namely:—

In the said rules,—

**1. In rule 4, for sub-rule (2) the following sub rule shall be substituted, namely:—**

“(2) Special License may be granted to such person for carrying out the business of notified agricultural produce in more than one market area, who in a financial year purchases one or more than one agricultural produce out of the following groups of notified agricultural produce in the minimum quantity mentioned against them, from producers including the cumulative purchase made from all the purchase centres:—

(i) Vegetables, Fruits and Flowers	1,000 Metric Ton
(ii) Spices	1,000 Metric Ton
(iii) Fibres (Cotton etc)	2,000 Bales
(iv) Oil seeds	2,000 Metric Ton
(v) Cereals and pulses	2,000 Metric Ton
(vi) Forest produce and agriculture medicinal produce	100 Metric Ton

Provided that in case of an exchange the above mentioned provisions shall not apply.

**2. For rule 5, the following rule shall be substituted, namely:—**

“5. License Fees.—The fee for special license shall be Rupees 20,000/- (Rupees Twenty Thousand). The license fee shall be payable through account payee demand draft drawn in favour of Managing Director at the time of application.”

**3. For rule 6, the following rule shall be substituted, namely:—**

“6. Security.—(1) After the decision to grant the license has been taken, for various notified agricultural produce, including all purchase centres, following security shall be submitted by licensee:

(a) Vegetables, Fruits and Flowers	Rs. Fifty Thousand per purchase centre but minimum Rs. 1 lakh.
(b) Spices	Rs. 1 lakh per purchase centre but minimum Rs. 3 lakh.
(c) Fibres (Cotton etc)	Rs. 1 lakh per purchase centre but minimum Rs. 3 lakh.
(d) Oil seeds	Rs. 1 lakh per purchase centre but minimum Rs. 3 lakh.
(e) Cereals and pulses	Rs. 1 lakh per purchase centre but minimum Rs. 3 lakh.
(f) Forest produce and agriculture medicinal produce.	Rs. Fifty Thousand per purchase centre but minimum Rs. 1 lakh..

Provided that the Security mentioned in rule 6 is minimum and may be increased upto the total value of actual purchase undertaken by the Licensee at all the centres cumulatively on any given day during the annual Year.”

4. For rule 7(2), 7(3)(i) the following rule shall be substituted, namely:—

“7(2) The applicant shall deposit in the Board headquarter an amount of Rs. 1000/- (Rupees one thousand) towards application fee, along with application form.”

“7(3)(i) The receipt towards deposit of Rs. 1000/- or crossed bank Draft of above amount drawn in favour of the Managing Director.”

5. For rule 8(5) the following rule shall be substituted, namely:—

In the event of refusal to grant or renew the special license, application fee shall be remain deposited in mandi Board whereas license fee shall be refunded to the applicant.

6. In rule 10, in Sub-rule (1) after clause (ix) the following clauses shall be added to, namely:—

- “(x) establish CCTV, Cameras at Entrance, sale purchase, payment and weightment counters/areas.
- (xi) maintain digital backup system of sale purchase account.”

7. For rule 12(2), 12(5) 12(7) the following rule shall be substituted,namely:—

“12(2) The applicant shall deposit an amount of Rs. 1000/- (Rupees one thousand) as application fee, in the office of the Board headquarter or shall furnish a crossed bank draft of this amount prepared in favour of the Managing Director.”

“12(5) The fee for renewal of special license shall be Rupees 20,000/- (Rupees Twenty Thousand). The license fee shall be payable through account payee demand draft drawn in favour of Managing Director at the time of application.”

“12(7) In the event of decision to refuse to renew the special license, application fee shall be remain deposited in Mandi Board whereas license fee shall be refunded to the applicant.”

8. For Point-2 of Form-IV, the following shall be substituted, namely:—

"An account payee demand draft of Rs. 20,000/- (Rs Twenty thousand) drawn in favour of the Board is enclosed herewith towards license fee bearing No. .... dated .....

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2019

क्र. डी-15-74-18-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 60 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2(1)(क) के तहत अनुसूची के शीर्षक “दस-चटनी मसाले तथा अन्य वस्तुएँ” की सूची के अंत में खरबूजा बीज एवं “पन्द्रह-कृषि औषधीय उपज” के सरल क्रमांक 38 के पश्चात् निम्नलिखित कृषि औषधीय उपज को शामिल करने के लिए ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये, अपना प्रस्ताव प्रकाशित करती है और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव पर इस सूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने की तारीख से छः सप्ताह के अवसान होने पर विचार किया जायेगा:—

सं. क्र.	प्रचलित नाम	वनस्पतिक नाम (बॉटनीकल नेम)
(1)	(2)	(3)
39	सुवा	Anethun Sawa
40	असालिया	Lepidium Sativum

(1)	(2)	(3)
41	तारामोरा	Eurea Sativa
42	कलौंजी	Nilgella Sativa
43	असगंध बीज	Withnina somnita
44	असगंध पत्ति	Asangdh Patti
45	मैंहन्दी	Lawsonia Inermis
46	तुलसी पत्ति	Ocimum Sanchutim
47	तुलसी पंचाग	Tulsi Panchang
48	तुलसी बीज	Tulsi Bij
49	नीम पत्ति	Azadorzethnta india
50	डोलमी	Dolmi
51	पुपाडियाबीज	Pupadiya Bij
52	कंठीली	Kanthili
53	धमुका	Dhmuka
54	शंखपुष्पी	Convolvulus Pluricaulis
55	अङ्गूषा	Adusa
56	राजमा	Phasealus Vulgaris
57	चिरायताबीज	Swertia chirata
58	अरीठा	Spindus louritalia
59	कोचबीज	Mucuna pruriens
60	हिंगोरिया	Cinnamomum Cassia
61	गुडबेल	Pueraria Tuberora
62	अमलतास	Cassia fistula
63	गुवारपाटा	Alobarabensis
64	भृगराज	Bragraj
65	मुसकदाना	Musakdana
66	जामुन गुठली	Syzygium cumini

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, उपर विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हों राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुकेश कुमार शुक्ला, सचिव.